

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 12/2026

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तत्कालिन कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

—आवेदक

बनाम

1. श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विक्रेता) मैसर्स— बजाज इन्टरप्राइजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट नं. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर-2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. श्री सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स— बजाज इन्टरप्राइजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट नं. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर-2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,58

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/गुप-3/ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.10.2025 को समय 12.50 पी. एम. बजे को मैसर्स— बजाज इन्टरप्राइजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट नं. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल बजाज को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **COW GHEE (Tithi BRAND) 452-452Gm** के तीन कार्टुन (प्रत्येक में 30 जार पैक) के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का विक्रेता बताया तथा संस्थान पर रखे **COW GHEE (Tithi BRAND) 452-452Gm** के तीन कार्टुन (प्रत्येक में 30 जार पैक) को आमजन में वास्ते बेचान बताया इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **COW GHEE (Tithi BRAND)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म नं. 5ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **COW GHEE (TITHI BRAND) 452-452Gm** के तीन कार्टुन (प्रत्येक में 30 जार पैक) में से चार जार पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ का नगद भुगतान 680 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **COW GHEE (TITHI BRAND)** 452-452Gm के चार जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-3096 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-3096 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल बजाज (विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./1431/Act/2025/1431 Dated 27.10.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3096 Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.2.3.7(2)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्यकारोबरकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विक्रेता) और सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स- बजाज इन्टरप्राइजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट नं. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर-2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **COW GHEE (GOKUL BRAND)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51, 58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि न्याय निर्णयन आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/विपक्षीगण को जो नोटिस जारी किया गया है उसका विरोध प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

(1) परिवाद की मद 1 के कथन कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है।

(2) परिवाद की मद 2 के कथन गजट नोटिफिकेशन आदि से सम्बन्धित है, जो प्रार्थीगण की जानकारी में ना होने के कारण से अस्वीकार हैं।

(3) परिवाद की मद 3 के कथन जिस प्रकार से दर्ज है वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, मौका पर उपलब्ध काउ घी तिथि ब्रांड को हॉलसेल विक्रय के लिए रखा था, जो जैसा बन्द स्थिती में निर्माणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था वैसा ही शॉपकीपर को विक्रय हेतु रखा था, हम अप्रार्थीगण हॉलसेल विक्रेता है, जब कि सैम्पल रिटेल शॉप पर विधिवत रूप से लिया जाना था, जो नहीं लिया गया है एव तथ्यों के विपरित परिवाद पेश किया है, निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही हम अप्रार्थीगण द्वारा उक्त घी आमजन को विक्रय किया जाना था ना ही रिटेल विक्रय करते हैं, तिथि ब्रांड का गाय का घी खरीद किये जाने बाबत निर्माता द्वारा जारी बिल दिनांकित 18/08/25 का जय सिक्टर इन्टरप्राइजेज अहमदाबाद का जारी किया हुआ है, जिसकी प्रति साथ में प्रस्तुत है।

(4) परिवाद की मद 4 अंकन नहीं है।


(5) परिवाद की मद 5 के कथन जिस प्रकार से दर्ज हैं, वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, क्यों कि तिथि देसी घी को पैक स्थिती में विक्रय किया गया है।

(6) परिवाद की मद संख्या 6 के कथन जिस प्रकार से दर्ज हैं, वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, प्रार्थीगण के संस्थान पर बताई जा रही उक्त कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही मौका पर नियमानुसार कोई विडियो रिकार्डिंग की गई है, परिवादी द्वारा तथ्यों के विपरित कथन किये हैं, एंव तथ्यों को गलत तरीके से अंकन किया गया है, ना ही वाञ्छित पक्षकारों का नाम परिवाद में अंकन है।

(7) परिवाद की मद 7 के कथन जिस प्रकार से दर्ज हैं स्वीकार नहीं है क्योंकि मौका पर कोई फर्द तैयार नहीं हुई ना ही कुछ बताया समझाया गया है, मन विपक्षी के खाली कागजात पर हस्ताक्षर कराये हैं, सीजर मीमो विधिक रूप से तैयार नहीं है, जो असत्य है।

(8) परिवाद की मद 8 विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित कथन हैं, जो मन विपक्षीगण के सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही इसकी कोई प्रति उपलब्ध कराई गई है, ना ही सैम्पल की पुनः जाँच हेतु कोई सूचना दी गई है।

(9) परिवाद की मद 9 के कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं, मन विपक्षीगण को जाँच रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया गया है, ना ही उसकी कोई प्रति उपलब्ध करवाई गई है, ना ही इस हेतु किसी तथ्यों से पूर्व में अवगत कराया गया है।


अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

(10) परिवाद की मद 10 के कथन आधारहीन है, मनविपक्षी को कोई सूचना जाँच के सबन्ध में नहीं दी गई इसके विपरित घी के बिल की प्रति मौका पर पूर्व में परिवादी को उपलब्ध करवा दी गई थी।

(11) परिवाद की मद 11 के कथन विधिक हैं।

(12) परिवाद की मद 12 के तथ्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि मन विपक्षीगण ने कोई अपराध नहीं किया ना ही जब्त घी तिथी के हम निर्माता या पैकिगकर्ता है, ना ही रिटेल कार्य करते हैं, उक्त घी फर्म जय सिक्टोर इन्टरप्राइजेज जो की अहमदाबाद की फर्म है, द्वारा जरीये बिल भिजवाया गया था जिसके तथ्यों के बारे में परिवादी को मौका पर ही बता दिया गया था। परिवाद झूठे तथ्यों पर है इस कारण से एंव पक्षकारों के कु-संयोजन के कारण से अपास्त किया जाकर के निरस्त किया जाने योग्य है।

अतः जवाब पेश कर अर्ज है कि परिवादी का परिवाद पत्र अपास्त किया जाकर कार्यवाही समाप्त की जावे सादर सहित।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **COW GHEE (TITHI BRAND)** का सैम्पल **K-3096** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S.-/1431/Act/2025/1431 Dated 27.10.2025 अनुसार **Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.2.3.7(2)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित है।

बहस पर मन्नन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "GHee" bearing Code No and Sr. No. **K-3096**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 and it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee. The sample also contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विक्रेता) और सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स— बजाज इन्टरप्राइजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर-2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विक्रेता) और सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स— बजाज इन्टरप्राइजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नंबर-2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर को राशि रूपये 25,000-00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2
(सुधीर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर